THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) According to information received from the Government of West Bengal, on April 22, 1970 at about 12·25 p.m. a cracker exploded on the 4th floor of the Writers' Building and another unexploded cracker was found at the same place. The investigation of the case registered in connection with the incident is in progress.

(b) and (c). Facts are being ascertained from the State Government.

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद पर सरकार समिति के प्रतिवेदन में वर्जा वरिष्ठ अधिकारियों के कार्य का मूल्यांकन

9090. **श्री मृत्युंजय प्रशाद** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् सम्बन्धी जांच समिति (सरकार समिति) की रिपोर्ट के भाग एक के परिशिष्ट ग्यारह में उल्लिखित 12 अधिकारियों में से उन अधिकारियों के नाम क्या है जो 1-4-1970 को उक्त परिषद् की सेवा में थे और उस तिथि को उनके वेतनमान तथा मूल वेतन कितने-कितने थे;

(ख) क्या उनके वैज्ञानिक अनुसंधान तथा अन्य वैज्ञानिक कार्यों का मूल्यांकन किन्हीं विख्यात तथा वरिष्ठ वैज्ञानिकों से कराया गया था और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है,; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और क्या अब मूल्यांकन करने का विचार है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् सम्बन्धी जांच समिति की रिपोर्ट के भाग 1 के परिशिष्ट में दर्शित 12 अधिकारियों में से ग्यारह अधिकारी 1 अप्रैल, 1970 को वैज्ञानिक तथा औद्योगिक परिषद में नियुक्त थे, जिनके ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं जो सभा पटल पर रख दिया गया है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-3449/70] प्रमुख वास्तुविद श्री ए० भारद्वाज ने 18 दिसम्बर, 1969 (अपराह्न) से परिषद की सेवा से त्याग पत्र दे दिया था।

(ख) उनकी नियुक्तियों के पश्चात उन के वैज्ञानिक कार्य का किन्हीं प्रमुख वैज्ञानिकों द्वारा मूल्यांकन नहीं कराया गया है।

(ग) सरकार समिति की रिपोर्ट के सम्बन्ध में निर्णयों के आधार पर इस मामले में कार्रवाई की जाएगी।

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

APPLICATIAN OF ORISSA PREVENTIVE DETENTION ACT TO MANIPUR BY PASSING AUTHORITY OF PARLIAMENT.

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : अध्यक्ष महोदय मैं अविलंबनीय लोकमहत्व के निम्नलिखित विषय की ओर गृह-कार्य मन्त्री का ध्यान दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वे इस बारे में एक वक्तव्य दें :

> "संसद के एक पुराने समर्थकारी अधिनियम के अन्तर्गत उड़ीसा निवारक निरोध अधिनियम को, ऐसी स्थिति में जबकि उड़ीसा अधिनियम का अस्तित्व ही नहीं था, मणिपुर पर लागू करने वाली अधिसूचना की ओर, जिसके द्वारा विधि बनाने के मामले में संसद् के प्राधिकार की अपेक्षा की गई।"

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : Mr. Speaker Sir, On the expiry of the Preventive Detention Act, 1950, a number of State Governments found it necessary to enact laws to provide for preventive detention for reasons connected with the security of the State or maintenance of public order or for checking Naxalite and other activities of like nature. Manipur is a sensitive area where activities of certain sections of the people had been posing constant threats to security. In this context we decided to extend to this Union territory the Orissa Preventive Deten-

tion Ordinance, 1969, and on its expiry, the Orissa Preventive Detention Act, 1970.

2. The extension of the Orissa Act has been done under section 2 of the Union Territories (Laws) Act, 1950. This provision is wide enough to enable the Central Government to extend to the Union territory of Manipur a State Act enacted even after the enactment of Union Territories (Laws) Act, 1950. The extension of the Orissa Act to the Union territory of Manipur has, therefore, been done within the power specifically conferred on the Central Government by Parliament and has in no way by-passed the authority of Parliament.

श्री मधु लिमये: अध्यक्ष महोदय, इस सवाल के दो पहलू हैं--एक पहलू का ताल्लुक मणिपुर की जनता से है और दूसरे पहलू का ताल्लुक पार्लियामेन्ट के अधिकारों से है। जहां तक मणिपुर की जनता का सवाल है, इस सरकार ने गैर-मुनासिब ढंग से पिछले वर्ष मणिपुर में राष्ट्रपति शासन जारी किया जबकि संयुक्त मोर्चे का असेम्बली में बहुमत था और वैकल्पिक सरकार बनाने के लिए वे तैयार थे और जनता की इच्छा थी कि वैकल्पिक सरकार बने। लेकिन अपने मणिपुर में जो सीमित स्वायत्तता थी यूनियन टेरिटोरीज ऐक्ट की तहत उसको भी खत्म कर दिया और जनता की जो मांग है कि मणिपुर के लोगों को अलग राज्य का सम्पूर्ण दर्जा दिया जाये, सेप्रेट स्टेट का, उस मांग को भी आपने ठुकरा दिया। जहां लोग विद्रोही बनते हैं उनके साथ आप समझौता करते हैं और उनको अलग राज्य का दर्जा दे देते हैं जैसे कि नागालैंड को आपने दिया अब इसका नतीजा यह हो रहा है कि मणिपुर के जो युवक लोग हैं उनमें ऐसी हताशा और निराशा सरकार के इस रवैये को लेकर उत्पन्न हो रही है कि अब वे लोग सोचने लगे हैं--एक तो यह कि हथियार हाथ में लिये बिना हमारा सवाल हल नहीं होगा और दूसरे यह कि हिन्दुस्तान के संविधान के तहत हमारी मांगों पर यह सरकार विचार नहीं करेगी। इसका क्या मतलब होता है ? यानी आप हथियारी बलवे के लिए, विद्रोह के लिए जनता को उकसा रहे हैं। आप मजबूर कर रहे हैं कि उनमें ऐसी भावना उत्पन्न हो कि वे हिन्दुस्तान छोड़कर चले जायं। और इसका एक लोकतांत्रिक पहलू यह है कि आप हिन्दुस्तान की एकता को खत्म करने का काम कर रहे हैं और मणिपुर में लोकतन्त्र की प्रस्थापना करने से इनकार कर रहे हैं।

इसके दूसरे पहलू का सम्बन्ध पार्लियामेन्ट के अधिकारों से है। पार्लियामेन्ट ने कानून बनाया था जोकि पिछले साल खत्म हुआ लेकिन उस कानून को बढ़ाने के लिए नया विधेयक लाने की हिम्मत इनकी नहीं हुई क्योंकि ये जानते थे कि पार्लियामेन्ट का बहुमत इसके खिलाफ है और यदि कानून लायेंगे तो बावजूद इसके कि कुछ दल इनके सहयोग कर रहे हैं लेकिन इस विधेयक के बारे में सब लोगों की एक राय थी और इसलिए उस पर सरकार हार जाती। डर के मारे यह भीरु सरकार उस विधेयक को सदन के सामने नहीं लाई ऐसी हालत में जो काम सीधे ढंग से आप नहीं कर सकते हैं उसको आप अप्रत्यक्ष ढंग से करना चाहते हैं और उसके लिए आपने क्या रास्ता निकाला ? सन् 1950 में हमने यहां पर यह कानून बनाया कि जो केन्द्र शासित इलाके हैं उनमें अन्य राज्यों के कानूनों को लागू किया जाये लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि सेक्शन (2) में तो जो पोस्ट फैक्टो लाज हैं उनके लिए हमने आपको अधिकार दिया न कि उसके बाद, पांच साल, दस साल, बीस साल या सौ साल के बाद जो कानून बनेंगे जिनकी पार्लियामेन्ट को कोई कल्पना भी नहीं थी, ऐसे मिला है ? क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर गया है समरू वर्सेस पांडीचेरी केस में सुप्रीमकोर्ट ने निर्णय दिया है कि जिस इलाके में जो असेम्बली है--मणिपुर की असेम्बली चूंकि आपने खत्म कर दिया इसलिए पार्लिमेन्ट है तो उसके अधिकारों को जब आप छीन लेते हैं--मैं एक वाक्य का कोटेशन उसमें से देता हूं :

"where there is abdication or effacement the legislature concerned in truth and in fact acts contrary to the Insturment which constituted it and the statute in question would be void and still-born."

इसलिए आपको पार्लियामेन्ट की इजाजत के बिना सन 1950 के कानून के सेक्शन (2) के तहत सभी ऐसे लोकतन्त्र विरोधी कानूनों को लागू करने का कोई अधिकार नहीं था ।

इसके साथ-साथ मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सही है कि 17 नौजवानों को इस कानून के तहत बन्द करके रखा है ? उसके बारे में भी आप जानकारी दें और सदन की भावना का आदर करते हुए इस सदन को आश्वासन दें कि जो कानून लागू किए हैं उनको रद्द करेंगे और पार्लियामेन्ट को विश्वास में ले करके जो कार्यवाही करनी है वह करेंगे । अच्छा होगा कि मणिपुर को अलग सम्पूर्ण राज्य का दर्जा दीजिए और उसके साथ लोकतन्त्र के काम करके मणिपुर की जनता की जो इच्छा है उसका आदर करें ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : अध्यक्ष महोदय, यह कहना ठीक नहीं है कि सम्पूर्ण राज्य बनाने की जो मणिपुर की मांग है उसको हमने ठुकरा दिया है । हमने तो यह कहा है कि जब उसकी तैयारी हो जायेगी कि वहां पर राज्य बन सके तो हम सहर्ष राज्य का दर्जा देने के लिए तैयार होंगे । उसमें हमारा कोई विरोध नहीं है । सवाल यह है कि कितनी जल्दी हम उस यूनियन टेरीटरी को इस ढंग से तैयार कर सकते हैं कि उतनी क्षमता हो जाये और उन्हें पूरे राज्य का दर्जा दिया जा सके । जैसे ही वह क्षमता वहां पर तैयार हो जाती है हम तत्काल ही राज्य का दर्जा देने के लिए तैयार हैं । इस मांग के प्रति हमारा कोई विरोध नहीं है और यह बात हम ने कई बार साफ कर दी है । और उसी तरह से वहां पर जो भी राजनीतिक वातावरण है, उस के बारे में माननीय सदस्य जानते हैं, इस में कोई यह बात नहीं है कि वहां का जो राजनीतिक वातावरण है किसी एक दल के द्वारा या किसी दूसरे दल के द्वारा पैदा किया गया है । कुछ वहां की भोगोलिक और पुरानी ऐतिहासिक स्थिति रही है, उन सब कारणों से वहां की एक ऐसी स्थिति पैदा हो गयी है जिस के कारण कुछ लोगों के प्रति ऐसी कार्यवाही करने की आवश्यकता पड़ती थी जब कि वे भारत छोड़ कर पाकिस्तान चले जायें वहां से शिक्षा लेकर आयें, बम गोले ले कर आयें । इस के बाद यदि कोई कार्यवाही न की जा सके तो भारत की सुरक्षा के लिये बड़ी कठिनाई पैदा हो सकती है । इसलिये हम ने देखा कि वहां की जो विषम परिस्थिति है उस का सामना करने के लिये इस बात की आवश्यकता थी ।

मैं यहां यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारी जरा भी इच्छा नहीं थी कि हम प्रीवेन्टिव डिटेंशन ऐक्ट को कहीं लागू करे । हम तो चाहते हैं कि भारत में ऐसी स्थिति आ जाय जब इस तरह के भारत सुरक्षा कानून की कोई आवश्यकता ही न रहे । पर जहां इनकी आवश्यकता महसूस होती है और जो जिम्मेदारी हमारे पर जनता द्वारा दी गयी है उस को निभाने के लिये यदि ऐसे कानून की शरण लेनी पड़ती है तो हमें इस बात की जिम्मेदारी लेनी ही पड़ती है ।

इस बारे में लोगों ने कानूनी राय भी ली कि इस तरह का कानून मणिपुर और त्रिपुरा में लागू कर सकते हैं कि नहीं ? हमें बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के दो निर्णय हो चुके हैं, एक तो ऐडवाइजरी निर्णय हुआ था जब कि रेफ़रेंस किया गया था देहली लाज ऐक्ट, 1912 के बारे में । उस के बाद माननीय सदस्य के रेफ़रेंस के लिये बता दूं कि 1950, सुप्रीमकोर्ट रिपोर्ट 471 . . . . .

श्री मधु लिमये : मैं तो 1967 के जजमेंट को रैफर कर रहा हूं, जो लेटेस्ट है ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : फिर सुप्रीमकोर्ट ने राजनारायण वर्सेज़ चेयरमैन, पटना ऐड-मिनिस्ट्रेशन, 1954 में फिर से इस बात

[श्री विद्याचरण शुक्ल]

की ताईद की कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट को इस तरह का अधिकार है कि कोई भी कानून, जो चाहे इस कानून के पास होने के बाद क्यों न पास किया गया है, उस को इस यूनियन टेरीटरी में लागू कर सकते हैं । यह पावर यूनियन सरकार को दी गयी है, और जो अधिकार इस सदन द्वारा दिया गया है उसी कानन के तहत यह कार्यवाही की गयी है । लेकिन हमारा उद्देश्य यह नहीं है कि इस तरह का कानून आगे बढ़ायें । पर वहां स्थिति ऐसी है·····

श्री मधु लिमये : 1967 के जजमेंट के बारे में आप को क्या कहना है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : हम इस बात के लिये तैयार हैं कि माननीय सदस्य से और दलों से बात करके वहां ऐसी परिस्थिति पैदा करने की कोशिश करें जिससे ऐसे कानून की जरूरत ही न पड़े ।

श्री मधु लिमये : सब से पहले मैं ने कहा कि 1967 के अंतिम निर्णय है जिस में सुप्रीमकोर्ट ने साफ़ कहा है कि लेजिस्लेचर अपनी जिम्मेदारी को इस तरह दूसरों पर डाल कर इफ़ेस नहीं कर सकता । इस का मंत्री जी ने कोई जवाब नहीं दिया ।

दूसरा सवाल मैं ने पूछा कि क्या 17 लोगों को आपने जेल में डाल दिया है इस कानून के तहत । और तीसरा प्रश्न यह था कि जब पार्लियामेन्ट के सामने कानून रखने के लिये तैयार नहीं थे तो अप्रत्यक्ष ढंग से उड़ीसा का कानून क्यों लागू करते हैं । यहां आपने कानून क्यों नहीं रखा ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैंने कहा कि अप्रत्यक्ष रूप से कोई काम नहीं किया है । प्रत्यक्ष रूप से किया है ।

श्री मधु लिमये : तो यहां कानून ले आइये ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : जो कानून के द्वारा सदन ने अधिकार दिया है उसे उसी अधिकार के तहत हमने कार्यवाही की है । मैं कानूनी बहस यहां नहीं करना चाहता हूं । यदि किसी व्यक्ति को यह लगता है कि गैर कानूनी बात सरकार ने की है तो उसके लिये अदालत बनी है, जहां कार्यवाही कर सकता है और अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उस पर यह निर्णय देता है कि यह गैर कानूनी कार्यवाही है तो हम उस को सहर्ष स्वीकार करेंगे ।

17 व्यक्ति वहां पर गिरफ्तार किये गये हैं । पर वह ऐसे कामों के लिये गिरफ्तार किये गये हैं जो राष्ट्र विरोधी कार्य हैं ।

श्री मधु लिमये : उस के लिये आई० पी० सी० के अन्दर आप को अधिकार हैं ।

श्री रवि राय (पुरी) : अध्यक्ष महोदय, यह सरकार 19 दिसम्बर की बैठक में कह चुकी है कि जनवरी, 1970 से पी० डी० ऐक्ट लागू नहीं करेंगे । लेकिन फिर भी अप्रत्यक्ष रूप से उड़ीसा कानून को मणिपुर में लागू कर रहे हैं । मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि 1966 में मणिपुर जनता की ओर से वहां स्वतंत्र राज्य दिलाने के लिये सब पार्टियों की तरफ़ से जिसमें इन का दल भी शामिल है, इस प्रकार का एक आन्दोलन चल रहा है, जिसको यह सरकार ठुकरा रही है ।

क्या मंत्री जी को मालूम है कि मणिपुर को, वहां की जनता को, चूंकि स्वतंत्र राज्य का दर्जा आप नहीं दे रहे हैं इसीलिये कुछ नवयुवक लोग पाकिस्तान की सहायता ले कर मणिपुर को हिन्दुस्तान से अलग करने की कोशिश कर रहे हैं ? यह कार्यवाही इन के द्वारा मणिपुर को स्वतंत्र राज्य का दर्जा न दिये जाने के कारण ही हो रही है ।

मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, मंत्री महोदय ने बताया कि उन की यह इच्छा नहीं है कि मणिपुर की जनता को स्वतंत्र राज्य न दें, क्या आप की जानकारी में यह बात आयी है कि 8 तारीख की शाम को दोनों सदनों का एक गैर-सरकारी प्रतिनिधि मंडल

मणिपुर जा रहा है और अगर वह प्रतिनिधि-मंडल वहां से लौटने के बाद यह रिपोर्ट देता है कि मणिपुर को जल्दी से जल्दी स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिया जाय तो क्या आप इस सत्र में यह ऐलान करेंगे कि मणिपुर के लोगों को स्वतंत्र राज्य का दर्जा दे रहे हैं ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : माननीय सदस्य की हिन्दी चूंकि मातृभाषा नहीं है इस लिये स्वतंत्र राज्य से सम्भवतः उन का मतलब इंडिपेन्डेंट स्टेट से नहीं है । मणिपुर को पूरे राज्य का दर्जा देने से आप का मतलब है?

श्री रवि राय : जी हां, पूर्ण राज्य का दर्जा देने से ही मेरा मतलब है ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : हमारी मूल नीति है वह मैं ने समझा दी है कि मूल रूप से इस प्रश्न का, इन मामले का हम विरोध नहीं करते हैं । हम ने स्वीकार किया है कि ....

श्री रवि राय : चार साल बीत चुके हैं इस मांग को करते करते, जब आप स्वीकार करते हैं तो उस को पूरे राज्य का दर्जा क्यों नहीं दे देते ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : जिस तरह की परिस्थितियां एक पृथक और पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त करने के लिये आवश्यक हैं जब उन का निर्माण वहां हो जायगा तो इसे हम तुरन्त ही वहां पूरे राज्य का दर्जा दे देंगे । और इस में कोई शक नहीं है कि हम लोग इस बात को चाहते हैं कि जितनी भी केन्द्र शासित इस तरह की टेरीटरीज हैं उन में जल्दी से जल्दी ऐसी स्थिति पैदा हो कि जिस से वह अपना पूरे राज्य का दर्जा प्राप्त कर सके । हिमाचल प्रदेश में इस तरह की स्थिति पैदा हो रही है और जल्दी ही हम उस को पूरे राज्य का दर्जा देने में सफल हो पायेंगे । उसी तरह से हम चाहते हैं कि मणिपुर का भी हो जाय । लेकिन जब तक वैसी परिस्थिति नहीं होगी तब तक मैं कोई भी आश्वासन यहां नहीं दे सकता कि उन को पूरे राज्य का दर्जा दे दिया जायगा । मैं चाहता हूं कि वहां की जनता हम से सहयोग करे ताकि हम जल्दी से जल्दी इस बात को कर सकें ।

श्री रवि राय : जब पार्लियामेंट का कोई कानून नहीं है और यह केन्द्र शासित इलाका है, तो फिर यह कानून वहां कैसे लागू रहेगा ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं ने बता दिया है ।

श्री मधु लिमये : जो आप सीधे ढंग से नहीं कर सकते हैं वह अप्रत्यक्ष ढंग से कर रहे हैं ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : प्रत्यक्ष ढंग से कर रहे हैं ।

12.17 Hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

REPORT OF ENQUIRY (COUNCIL OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH) AND ANNUAL ACCOUNTS OF U.G.C., 1968-69

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EDUCATION AND YOUTH SERVICES (SHRI BHAKT DARSHAN): On behalf of Dr. V. K. R. V. Rao I beg to lay on the Table :—

(1) A copy of the Report (Hindi version) of Committee of Enquiry (Council of Scientific and Industrial Research)-Part I. [*Placed in Libarary see* No. LT-3435/70].

(2) A copy of the Annual Accounts of the University Grants Commission for the year 1968-69 together with the Audit Report thereon, under sub-section (4) of section 19 of the University Grants Commission Act, 1956. [*Placed in Libraray see* No. LT-3436/70].

12.18 Hrs.

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

SECRETARY : Sir, I have to report the following message received from the Secretary of Rajya Sabha :—

"In accordance with the provisions of sub-rule (6) of rule 186 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to return herwith the Appropriation (No. 2) Bill